मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय
//आदेश//

भोपाल दिनांक 29/04/2022

क्रमांक/847/2342/2020/सत्रह/मेडि-1/:- कार्यालय विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय म.प्र. भोपाल के पत्र 4694/अप.कं 431/15/विपुस्था/2020 भोपाल दिनांक 21.09.2020 द्वारा अपराध क्रमांक-431/2015 विरूद्ध डॉ. प्रदीप सिमलोत, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र महेश्वर जिला खरगोन को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13 (1)डी,13(2) एवं 120 बी भा.द.वि. के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19 (1) पी.सी. के अंतर्गत म.प्र. शासन की अभियोजन स्वीकृति चाही गई है।

2/ संलग्न अभिलेखों के अनुसार प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है:- वर्ष 2012-13 में लोक सवेक आरोपी डॉ. प्रदीप सिमलोत ब्लॉक मेडीकल ऑफीसर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र महेश्वर जिला खरगोन एवं अध्यक्ष रोगी कल्याण समिति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिपल्या बुजुर्ग जिला खरगोन द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारी श्री. कालूसिंह अवास्या तत्का. प्रभारी लेखापाल के साथ संगमत होकर अपराधिक षडयंत्र करते हुए अपने पदीय दायित्वों का लोप/पद का दुरूपयोग कर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिपल्याबुजुर्ग विकासखण्ड महेश्वर जिला खरगोन को आर.सी.एस./एन.आर.एच.एम. कार्यक्रम के तहत् शासन से प्राप्त लाखों रूपये की राशि एवं रोगी कल्याण समिति की राशि से अवैध लाभ अर्जित करने हेतु, भंडार क्रय नियम का पालन न करते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिपल्याबुजुर्ग में अपंजीकृत निजी फर्म मंजू फोटोकॉपी (न्यू फोटोकॉपी एण्ड स्टेशनरी पिपल्याबुजुर्ग) से बाजार दर से अधिक दर पर विभिन्न स्टेशनरी, सामग्री क्रय करते हुए, शासन के कोई आदेश न होने के बावजूद भी 4,900/-रू0 नगद भुगतान कर, उसकी केशबुक में फर्जी प्रविष्ठि दर्ज कर समायोजन किया गया है। जबकि यह कार्य भी नियमानुसार विज्ञप्ति का प्रकाशन करवाकर/कोटेशन प्रक्रिया अपना कर न्यूनतम दर वाले पंजीकृत व्यक्ति/फर्म से करवाया जाना चाहिए था, ऐसा न करते हुए राशि पहले आहरित कर ली गई तथा उसे सही दर्शाने हेतु कच्ची-पक्की रसीदों एवं केशबुक का सहारा लिया गया।

आरोपी डॉ प्रदीप सिमलोत के विरूद्ध विभागीय जांच प्रारंभ होने पर उनके द्वारा शासन को कारित आर्थिक क्षति से संबंधित राशि 4,900/-रू. वापस शासन के खाते में जमा किया गया, जो आरोपी के अपराधिक कृत्य की स्वीकारोक्ति होकर स्पष्ट प्रमाण है। इस संबंध में वर्ष 2012-13 में ब्लॉक महेश्वर की अंकेक्षण रिपोर्ट में भी आरोपीगण द्वारा नियमानुसार लेजर, व्हाउचर, बैंक संबंधी विवरण, अग्रिम भुगतान के संबंध में कोई दस्तावेज सही तरीके से संधारित किया जाना नही पाया गया है। आरोपीगण डॉ. प्रदीप सिमलोत एवं कालू सिंह अवास्या तत्कालीन प्रभारी लेखापाल द्वारा लोक सेवक होते हुए अपराधिक षडयंत्र में संगमत होकर अपने पदीय दायित्वों का दुरूपयोग करते हुए आर्थिक लाभ लेने हेतु भ्रष्टाचार कारित किया गया, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13 (1)डी,13(2) एवं पी.सी. एक्ट 1988 एवं 120 बी भा.द.वि. के अर्न्तगत दण्डनीय प्रमाणित पाया गया है।

3/ संचालनालय स्तर पर गठित राज्य स्तरीय समिति के समक्ष प्रकरण अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया। राज्य स्तरीय समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि अभियोजन क्रमांक 431/2015 में क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, इंदौर की अध्यक्षता में निर्णय लिया जावे। क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें संभाग इंदौर ने पत्र क्रमांक शिक्षा./संचा./2021/2298 दिनांक 08.03.2021 द्वारा गठित समिति ने प्रथम दृष्ट्या डॉ. प्रदीप सिमलोत ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ब्लाक महेश्वर एवं श्री कालू सिंह अवास्या तत्कालीन एम.पी.डब्लू प्रभारी लेखापाल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिपल्या बुजुर्ग महेश्वर जिला खरगोन द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों तथा शासकीय नियमों के विपरीत जाकर वित्तीय अनियमितताएं किया जाना परिलक्षित होता है का उल्लेख किया गया। संचालनालय स्तर पर राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 07.04.2021 में अभियोजन क्रमांक 431/2015 में अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः आरोपीगणों को अपराधिक प्रकरण के संबंध में अभियोजन स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु माननीय मंत्रीजी का प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त किया गया है।

निरंतर.....

4/ तद्नुसार राज्य शासन एतद् द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र कमांक एफ 15-1/2014/1-10 दिनांक 05.09.2014 एवं समसंख्यक परिपत्र दिनांक 21.04.2017 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए आरोपी डॉ. प्रदीप सिमलोत, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र महेश्वर जिला खरगोन एवं आरोपी श्री कालू सिंह अवास्या तत्कालीन एम.पी.डब्लू प्रभारी लेखापाल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिपल्या बुजुर्ग महेश्वर जिला खरगोन के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13 (1)डी, 13(2) एवं 120 बी भा.द.वि. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के लिये न्यायालय में अभियोजित करने हेतु भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19(1) बी.सी. के अंतर्गत अभियोजन संस्थित करने की स्वीकृति प्रदान करता है।

(सीमा डेहरिया)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ. कर्मांक/848/2342/2020/सत्रह/मेडि-1 भोपाल दिनांक 25/04/2022

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल।
4. कलेक्टर जिला खरगोन म.प्र.।
5. अतिरिक्त महानिदेशक विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय म.प्र. भोपाल।
6. पुलिस अधीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय, इंदौर संभाग इंदौर।
7. उप/संयुक्त संचालक विज्ञप्त/शिकायत/अविज्ञप्त/लीगल संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें भोपाल ।
8. डॉ. प्रदीप सिमलोत; ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र महेश्वर जिला-खरगोन द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-खरगोन म.प्र.।
9. श्री कालू सिंह अवास्या तत्कालीन एम.पी.डब्लू प्रभारी लेखापाल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिपल्या बुजुर्ग महेश्वर जिला खरगोन द्वारा-मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-खरगोन म.प्र.।
10. आदेश नस्ति।

(सीमा डेहरिया)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय
//आदेश//

भोपाल, दिनांक 29/04/2022

कमांक/845/2344/2020/सत्रह/मेडि-1/:- कार्यालय विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय म.प्र. भोपाल के पत्र 4698/अप.कं 433/15/विपुस्था/2020 भोपाल दिनांक 21.09.2020 द्वारा अपराध कमांक-433/2015 विरूद्ध डॉ. प्रदीप सिमलोत, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र महेश्वर जिला खरगोन को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13 (1)डी,13(2) एवं 120 बी भा.द.वि. के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19 (1) बी.सी. के अंतर्गत म.प्र. शासन की अभियोजन स्वीकृति चाही गई है।

2/ अभिलेखों के अनुसार प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैः- वर्ष 2012-13 मे लोक सेवक आरोपी डॉ. प्रदीप सिमलोत ब्लॉक मेडीकल ऑफीसर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र महेश्वर जिला खरागौन एवं अध्यक्ष रोगी कल्याण समिति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिपल्या बुजुर्ग जिला खरगोन द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारी श्री. कालूसिंह अवास्या तत्का. प्रभारी लेखापाल के साथ संगमत होकर नियम विरूद्ध तरीके से निविदा कोटेशन आमंत्रित किये बिना शासन द्वारा स्वीकृत राशि 50,000/-रू में से 8,700/-रू का भुगतान बाई वाय मुकेश सोनी के नाम से चेक कमांक 8211 दिनांक 24.03.13 राशि 8,700/- रू जारी कर दिनांक 11.04.2013 को बैंक से आहरण करवाकर भुगतान प्राप्त किया गया है। शासन द्वारा अन्य मद में रोगी कल्याण समिति पिपल्या बुजुर्ग के खाते में दिनांक 10.04.2013 को जमा हुई उससे ही उक्त 8700/- रू का भुगतान प्राप्त किया जाना स्पष्ट प्रतीत होता है। जबकि केशबुक में इसकी इन्ट्री दिनांक 24.03.2013 में की गई है। जप्तशुदा रसीद अनुसार देवीलाल कोहरे एवं शेखर कोहरे को किया गया है, जिसकी केशबुक में प्रविष्टि भी की गई है। जबकि शासन द्वारा राशि रोगी कल्याण समिति के खाते में दिनांक 10.04.2013 को जमा की गई है। केशबुक में इसकी इन्ट्री दिनांक 24.03.2013 को की गई है। इस प्रकार राशि प्राप्त होने के पूर्व ही केशबुक में दर्ज की गई है, इससे स्पष्ट है कि आरोपीगण द्वारा पूर्व में ही फर्जी भुगतान दर्शाया गया एवं राशि खाते में आने पर प्राप्त कर ली। इस प्रकार आरोपीगण द्वारा रोगी कल्याण समिति को शासन से स्वीकृत राशि 75,000/- रू में से 9,300/- नगद एवं स्वीकृत राशि 50,000/- में से 8,700/- इस तरह कुल 18,000/- प्राप्त कर स्वंय के उपयोग में लिए तथा शासन को 18,000/- रू की क्षति पहुंचाई गई।

आरोपी डॉ प्रदीप सिमलोत के विरूद्ध विभागीय जांच प्रांरभ होने पर उनके द्वारा शासन को हुई आर्थिक क्षति से संबंधित राशि 18,000/-रू. वापस शासन के खाते में जमा किया गया जो आरोपी के अपराधिक कृत्य की स्वीकारोक्ति होकर स्पष्ट प्रमाण है। इस संबंध में वर्ष 2012-13 में ब्लॉक महेश्वर की अंकेक्षण रिपोर्ट में भी आरोपीगण द्वारा नियमानुसार लेजर, व्हाउचर, बैंक संबंधी विवरण, अग्रिम भुगतान के संबंध में कोई दस्तावेज सही तरीके से संधारित किया जाना नही पाया गया है। आरोपीगण डॉ. प्रदीप सिमलोत एवं कालू सिंह अवास्या तत्कालीन प्रभारी लेखापाल द्वारा लोक सेवक होते हुए अपराधिक षडयंत्र में संगमत होकर अपने पदीय दायित्वों का लोप/पद का दुरूपयोग करते हुए आर्थिक लाभ लेने हेतु भ्रष्टाचार कारित किया गया, जो धारा 13 (1)डी, 13(2), पी.सी. एक्ट 1988 एवं 120 बी भा.द.वि. के अर्न्तगत दण्डनीयं प्रमाणित पाया गया है।

3/ संचालनालय स्तर पर गठित राज्य स्तरीय समिति के समक्ष प्रकरण अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया। राज्य स्तरीय समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि अभियोजन कमांक 433/2015 में क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, इंदौर की अध्यक्षता में निर्णय लिया जाये। क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें संभाग इंदौर ने पत्र कमांक शिका./संचा./2021/2298 दिनांक 08.03.2021 द्वारा गठित समिति ने प्रथम दृष्टया डॉ. प्रदीप सिमलोत ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ब्लाक महेश्वर एवं श्री कालू सिंह अवास्या तत्कालीन एम.पी.डब्लू प्रभारी लेखापाल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिपल्या बुजुर्ग महेश्वर जिला खरगोन द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों तथा शासकीय नियमों के विपरीत जाकर वित्तीय अनियमितताएं किया जाना परिलक्षित होता है का उल्लेख किया गया। संचालनालय स्तर पर राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 07.04.2021 में अभियोजन कमांक 433/2015 में अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः आरोपीगणों को अपराधिक प्रकरण के संबंध में अभियोजन स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु माननीय मंत्रीजी का प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त किया गया है।

4/ तद्नुसार राज्य शासन एतद् द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र कमांक एफ 15-1/2014/1-10 दिनांक 05.09.2014 एवं समसंख्यक परिपत्र दिनांक 21.04.2017 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए आरोपी डॉ. प्रदीप सिमलोत, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र महेश्वर जिला खरगोन एवं आरोपी श्री कालू सिंह अवास्या तत्कालीन एम.पी.डब्लू प्रभारी लेखापाल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिपल्या बुजुर्ग महेश्वर जिला खरगोन के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13 (1)डी, 13(2) एवं 120 बी भा.द.वि. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के लिये न्यायालय में अभियोजित करनें हेतु भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19(1) बी.सी. के अंतर्गत अभियोजन संस्थित करने की स्वीकृति प्रदान करता है।

(सीमा डेहरिया)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
भोपाल, दिनांक 29/04/2022

पृ. कमांक/846/2344/2020/सत्रह/मेडि-1

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल।
4. कलेक्टर जिला खरगोन म.प्र.।
5. अतिरिक्त महानिदेशक विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय म.प्र. भोपाल।
6. उप/संयुक्त संचालक विज्ञप्त/शिकायत/अविज्ञप्त/लीगल संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें भोपाल ।
7. पुलिस अधीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय इंदौर संभाग इंदौर।
8. डॉ. प्रदीप सिमलोत, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र महेश्वर जिला-खरगोन
   द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-खरगोन म.प्र.।
9. श्री कालू सिंह अवास्या तत्कालीन एम.पी.डब्लू प्रभारी लेखापाल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिपल्या बुजुर्ग महेश्वर जिला खरगोन द्वारा-मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-खरगोन म.प्र.।
10. आदेश नस्ती।

(सीमा डेहरिया)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 29/04/2022

क्रमांक/ 843 /2343/2020/सत्रह/मेडि-1/:- कार्यालय विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय म.प्र. भोपाल के पत्र 4678/अप.कं 432/15/विपुस्था/2020 भोपाल दिनांक 21.09.2020 द्वारा अपराध क्रमांक-432/2015 विरूद्ध डॉ. प्रदीप सिमलोत, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र महेश्वर जिला खरगोन को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13 (1)डी,13(2) एवं 120 बी भा.द.वि. के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19 (1) बी.सी. के अंतर्गत म.प्र. शासन की अभियोजन स्वीकृति चाही गई है।

2/ अभिलेखों के अनुसार प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है:- वर्ष 2012-13 में आरोपी डॉ. प्रदीप सिमलोत ब्लॉक मेडीकल ऑफीसर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र महेश्वर जिला खरगोन एवं अध्यक्ष रोगी कल्याण समिति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिपल्या बुजुर्ग जिला खरगोन द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारी श्री कालूसिंह अवास्था तत्का. प्रभारी लेखापाल के साथ संगमत होकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिपल्याबुजुर्ग विकासखण्ड महेश्वर जिला खरगोन को आर.सी. एस./एन.आर.एच.एम. कार्यक्रम के तहत् शासन से प्राप्त लाखों रूपये की राशि एवं रोगी कल्याण समिति की राशि से अवैध लाभ अर्जित करने हेतु, भंडार क्रय नियम का पालन न करते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिपल्याबुजुर्ग में, अपंजीकृत निजी फर्म नासिर खान से रंगाई एवं पेंटिंग कार्य को कराया जाकर 6,300/-रू0 का नगद भुगतान दर्शाकर, उसकी केशबुक में फर्जी प्रविष्ठि दर्ज कर समायोजन किया गया है। जबकि यह कार्य भी नियमानुसार विज्ञप्ति का प्रकाशन करवाकर/कोटेशन प्रकिया अपना कर न्यूनतम दर वाले पंजीकृत व्यक्ति/फर्म से करवाया जाना चाहिए था तथा भुगतान भी चैक के माध्यम से संबंधित व्यक्ति को करना चाहिए एवं उसकी प्रविष्टि भी उसी दिनांक को कैशबुक में करनी चाहिए थी, परंतु आरोपीगण द्वारा ऐसा न करते हुए भुगतान दर्शाया गया है जबकि संबंधित को उक्त भुगतान आज दिनांक तक प्राप्त नही हुआ है। उक्त भुक्तान को आरोपीगण द्वारा चैक क्रमांक 8205 दिनांक 25.04.2013 के माध्यम से अपने अधीनस्त कर्मचारी मुकेश सोनी वॉर्ड बॉय द्वारा बैंक से निकलवाकर द्वारा प्राप्त किया गया है एवं उसे सही दर्शाने हेतु कैशबुक में फर्जी प्रविष्टि हेतु कांट-छांट का सहारा लिया गया है।

आरोपी डॉ प्रदीप सिमलोत के विरूद्ध विभागीय जांच प्रांरभ होने पर उनके द्वारा शासन को कारित आर्थिक क्षति से संबंधित राशि 6,300/-रू. वापस शासन के खाते में जमा किया गया, जो आरोपी के अपराधिक कृत्य की स्वीकारोक्ति होकर स्पष्ट प्रमाण है। इस संबंध में वर्ष 2012-13 में ब्लॉक महेश्वर की अंकेक्षण रिपोर्ट में भी आरोपीगण द्वारा नियमानुसार लेजर, व्हाउचर, बैंक संबंधी विवरण, अग्रिम भुगतान के संबंध में कोई दस्तावेज सही तरीके से संधारित किया जाना नही पाया गया है। आरोपीगण डॉ. प्रदीप सिमलोत एवं कालू सिंह अवास्था तत्कालीन प्रभारी लेखापाल द्वारा लोक सेवक होते हुए अपराधिक षडयंत्र में संगमत होकर आर्थिक लाभ लेने हेतु भ्रष्टाचार कारित किया गया, जो धारा 13 (1)डी, 13(2), पी.सी. एक्ट 1988 एवं 120 बी भा.द.वि., के अर्न्तगत दण्डनीय प्रमाणित पाया गया है।

निरंतर.....

3/ संचालनालय स्तर पर गठित राज्य स्तरीय समिति के समक्ष प्रकरण अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया। राज्य स्तरीय समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि अभियोजन कमांक 432/2015 में क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, इंदौर की अध्यक्षता में निर्णय लिया जावे। क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें संभाग इंदौर ने पत्र कमांक शिका./संचा./2021/2298 दिनांक 08.03.2021 द्वारा गठित समिति ने प्रथम दृष्टया डॉ. प्रदीप सिमलोत ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ब्लाक महेश्वर एवं श्री कालू सिंह अवास्या तत्कालीन एम.पी.डब्लू प्रभारी लेखापाल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिपल्या बुजुर्ग महेश्वर जिला खरगोन द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों तथा शासकीय नियमों के विपरीत जाकर वित्तीय अनियमितताएं किया जाना परिलक्षित होता है का उल्लेख किया गया। संचालनालय स्तर पर राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 07.04.2021 में अभियोजन कमांक 432/2015 में अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः आरोपीगणों को अपराधिक प्रकरण के संबंध में अभियोजन स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु माननीय मंत्रीजी का प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त किया गया है।

4/ तद्नुसार राज्य शासन एतद् द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र कमांक एफ 15-1/2014/1-10 दिनांक 05.09.2014 एवं समसंख्यक परिपत्र दिनांक 21.04.2017 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए आरोपी डॉ. प्रदीप सिमलोत, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र महेश्वर जिला खरगोन एवं आरोपी श्री कालू सिंह अवास्या तत्कालीन एम.पी.डब्लू प्रभारी लेखापाल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिपल्या बुजुर्ग महेश्वर जिला खरगोन के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13 (1)डी, 13(2) एवं 120 बी भा.द.वि. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के लिये न्यायालय में अभियोजित करने हेतु भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19(1) बी.सी. के अंतर्गत अभियोजन संस्थित करने की स्वीकृति प्रदान करता है।

(सीमा डेहरिया)
(सीमा डेहरिया)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ. कमांक/844/2343/2020/सत्रह/मेडि-1 भोपाल, दिनांक 29/04/2022

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1 अतिरिक्त मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।
2 प्रमुख सचिव, म.प्र. विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3 आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल।
4 कलेक्टर जिला खरगोन म.प्र.।
5 अतिरिक्त महानिदेशक विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय म.प्र. भोपाल।
6 उप/संयुक्त संचालक विज्ञप्त/शिकायत/अविज्ञप्त/लीगल संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें भोपाल ।
7 पुलिस अधीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय इंदौर संभाग इंदौर।
8 डॉ. प्रदीप सिमलोत, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र महेश्वर जिला-खरगोन
द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-खरगोन म.प्र.।
9 श्री कालू सिंह अवास्या तत्कालीन एम.पी.डब्लू प्रभारी लेखापाल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिपल्या बुजुर्ग महेश्वर जिला खरगोन द्वारा-मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-खरगोन म.प्र.।
10 आदेश नस्ती।

(सीमा डेहरिया)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 29/04/2022

क्रमांक/ 841/2340/2020/सत्रह/मेडि-1/:- कार्यालय विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय म.प्र. भोपाल के पत्र 4690/अप.क्रं 430/15/विपुस्था/2020 भोपाल दिनांक 21.09.2020 द्वारा अपराध क्रमांक-430/2015 विरूद्ध डॉ. प्रदीप सिमलोत, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र महेश्वर जिला खरगोन को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13 (1)डी,13(2) एवं 120 बी भा.द.वि. के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19 (1) बी.सी. के अंतर्गत म.प्र. शासन की अभियोजन स्वीकृति चाही गई है।

2/ संलग्न अभिलेखों के अनुसार प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है:- वर्ष 2012-13 आरोपी डॉ. प्रदीप सिमलोत ब्लॉक मेडीकल ऑफीसर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र महेश्वर जिला खरगोन एवं अध्यक्ष रोगी कल्याण समिति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिपलिया बुजुर्ग जिला खरगोन द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारी श्री. कालूसिंह अवास्या तत्का. प्रभारी लेखापाल के साथ संगमत होकर अपराधिक षडयंत्र करते हुए अपने पदीय दायित्वों का लोप/पद का दुरुपयोग कर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिपल्याबुजुर्ग विकासखण्ड महेश्वर जिला खरगोन को आर.सी.एस./एन. आर.एच.एम. कार्यक्रम के तहत् शासन से प्राप्त लाखों रूपये की राशि एवं रोगी कल्याण समिति की राशि से अवैध लाभ अर्जित करने हेतु, नियम विरूद्ध तरीके बिना निविदा आंमत्रित किए, मनमर्जी से पिपल्याबुजुर्ग अस्पताल की रंगाई-पुताई, साफ-सफाई, मेहदी कटाई के कार्य पर हुए खर्चे को केशबुक दिनांक 26.12.2012 को एवं 28.12.2012 को प्रकाश पिता ताराचन्द खंराले, निवासी पिपलझर को चेक क्रमांक 8204 व चेक क्रमांक 8203 के माध्यम से क्रमशः 10,000/- रू0 एवं 9,500/रू0 कुल 19,500 रू0 के भुगतान किए जाने की खर्चे संबंधी इन्ट्री करवाई गई है तथा चैक भुगतान करने की कच्ची पावती उक्त मजदूर से प्राप्त की गई थी एवं इसके साथ ही प्रकाश ताराचन्द पिपलझर को चैक क्रमांक 8206 दिनांक 28.03.2013 से 10,000/- रू की राशि इसी अस्पताल से गार्डन की साफ सफाई, मेहदी कटाई व लेटरीन खाली कराने, पाईप डालने के कार्य के खर्चे की कच्ची रसीद प्राप्त हुई है, जिसका खर्चा केशबुक दिनांक 28.03.2013 में चैक क्रमांक 8215 से 10,000/- रू. ताराचन्द पिपलझर के नामें डाला गया है। जबकि बैंक से प्राप्त स्टेटमेन्ट में चैक क्रमांक 8215 दिनांक 12.04.2013 से 10,000/- रू मुकेश सोनी को भुगतान होना पाया गया है जो रोगी कल्याण समिति पिपल्याबुजुर्ग में वार्ड बॉय का कार्य करता था। रोगी कल्याण समिति पिपल्याबुजुर्ग के बैंक ऑफ इंडिया के खाता क्रमांक 991610100005784 के स्टेटमेंन्ट की प्रति के अवलोकन पर पाया गया कि प्रकाशचंद को दिनांक 21.03.2013 को चैक क्रमांक 8204 से 10,000/- रू तथा दिनांक 26.03.2013 को चेक क्रमांक 8207 से 9,500/- रू भुगतान हुए है। बैंक से प्राप्त स्टेटमैन्ट, साक्षी के कथन, कैशबुक के कांट-छांट इत्यादि कृत्य पश्चातवर्ती किया जाना प्रतीत होता है। क्योकि यह कार्य भी नियमानुसार विज्ञप्ति का प्रकाशन करवाकर न्यूनतम दर वाले पंजीकृत व्यक्ति/फर्म से करवाया जाना चाहिये था, ऐसा न करते हुए राशि पहले आहरित कर ली गई तथा उसे सही दर्शाने हेतु कच्ची रसीदों एवं कैशबुक का सहारा लेकर कैशबुक में इन्ट्री करके उसका समायोजन करना दर्शाकर, रोगी कल्याण समिति को 19,500/- की आर्थिक क्षति पहुचायी गई है।

निरंतर........

आरोपी डॉ प्रदीप सिमलोत के विरूद्ध विभागीय जांच प्रांरभ होने पर उनके द्वारा शासन को कारित आर्थिक क्षति से संबंधित राशि 19,500/- रू वापस शासन के खाते में जना किया गया, जो आरोपी के अपराधिक कृत्य की स्वीकारोक्ति होकर स्पष्ट प्रमाण है। इस संबंध में वर्ष 2012-13 में ब्लॉक महेश्वर की अंकेक्षण रिपोर्ट में भी आरोपीगण द्वारा नियमानुसार लेजर, व्हाउचर, बैंक संबंधी विवरण, अग्रिम भुगतान के संबंध में कोई दस्तावेज सही तरीके से संधारित किया जाना नही पाया गया है। आरोपीगण डॉ. प्रदीप सिमलोत एवं कालू सिंह अवास्या तत्कालीन प्रभारी लेखापाल द्वारा लोक सेवक होते हुए अपराधिक षडयंत्र में संगमत होकर अपने पदीय दायित्वों का दुरूपयोग करते हुए आर्थिक लाभ लेने हेतु भ्रष्टाचार कारित किया गया, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13 (1)डी,13(2) एवं 120 बी भा.द.वि. के अर्न्तगत दण्डनीय प्रमाणित पाया गया है।

3/ संचालनालय स्तर पर गठित राज्य स्तरीय समिति के समक्ष प्रकरण अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया। राज्य स्तरीय समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि अभियोजन कमांक 430/2015 में क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, इंदौर की अध्यक्षता में निर्णय लिया जावे। क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें संभाग इंदौर ने पत्र कमांक शिका./संचा./2021/2298 दिनांक 08.03.2021 द्वारा गठित समिति ने प्रथम दृष्टया डॉ. प्रदीप सिमलोत ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ब्लाक महेश्वर एवं श्री कालू सिंह अवास्या तत्कालीन एम.पी.डब्लू प्रभारी लेखापाल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिपल्या बुजुर्ग महेश्वर जिला खरगोन द्वारा अपने पदीय कतव्यों तथा शासकीय नियमों के विपरीत जाकर वित्तीय अनियमितताएं किया जाना परिलक्षित होता है का उल्लेख किया गया। संचालनालय स्तर पर राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 07.04.2021 में अभियोजन कमांक 430/2015 में अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः आरोपीगणों को अपराधिक प्रकरण के संबंध में अभियोजन स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु माननीय मंत्रीजी का प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त किया गया है।

4/ तद्नुसार राज्य शासन एतद् द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र कमांक एफ 15-1/2014/1-10 दिनांक 05.09.2014 एवं समसंख्यक परिपत्र दिनांक 21.04.2017 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, आरोपी डॉ. प्रदीप सिमलोत, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र महेश्वर जिला खरगोन एवं आरोपी श्री कालू सिंह अवास्या तत्कालीन एम.पी.डब्लू प्रभारी लेखापाल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिपल्या बुजुर्ग महेश्वर जिला खरगोन के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13 (1)डी, 13(2) एवं 120 बी भा.द.वि. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के लिये न्यायालय में अभियोजित करने हेतु भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19(1) बी.सी. के अंतर्गत अभियोजन संस्थित करने की स्वीकृति प्रदान करता है।

(सीमा बहरिया)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

निरंतर.....

पृ. कमांक/842/2340/2021/सत्रह/मेडि-1 भोपाल, दिनांक29/04/2022

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1 अतिरिक्त मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।

2 प्रमुख सचिव, म.प्र. विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3 आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल।

4 कलेक्टर जिला खरगोन म.प्र.।

5 अतिरिक्त महानिदेशक विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय म.प्र. भोपाल।

6 पुलिस अधीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय, इंदौर संभाग इंदौर।

7 उप/संयुक्त संचालक विज्ञप्त/शिकायत/अविज्ञप्त/लीगल संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें भोपाल।

8 डॉ. प्रदीप सिमलोत, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र महेश्वर जिला-खरगोन द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-खरगोन म.प्र.।

9 श्री कालू सिंह अवास्या तत्कालीन एम.पी.डब्लू. प्रभारी लेखापाल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिपल्या बुजुर्ग महेश्वर जिला खरगौन द्वारा-मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-खरगोन म.प्र.।

10 आदेश नस्ती।

(सीमा डेहरिया)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 29/04/2022

क्रमांक/839/2341/2020/सत्रह/मेडि-1/:- कार्यालय विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय म.प्र. भोपाल के पत्र 4682/अप.कं 428/15/विपुस्था/2020 भोपाल दिनांक 21.09.2020 द्वारा अपराध कमांक-428/2015 विरूद्ध डॉ. प्रदीप सिमलोत, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र महेश्वर जिला खरगोन को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13 (1)डी,13(2) एवं 120 बी भा.द.वि. के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19 (1) बी.सी. के अंतर्गत म.प्र. शासन की अभियोजन स्वीकृति चाही गई है।

2/ संलग्न अभिलेखों के अनुसार प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है:- वर्ष 2012 - 13 आरोपी डॉ. प्रदीप सिमलोत ब्लॉक मेडीकल ऑफीसर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र महेश्वर जिला खरगोन एवं अध्यक्ष रोगी कल्याण समिति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिपल्या बुजुर्ग जिला खरगोन द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारी कालूसिंह अवास्या तत्का. प्रभारी लेखापाल के साथ संगमत होकर अपराधिक षडयंत्र करते हुए अपने पदीय दायित्वों का लोप/पद का दुरूपयोग कर नियम विरूद्ध तरीके से कम्प्यूटर की खरीदी की जाकर भुगतान कर वित्तीय अनियमितता की गयी। आरोपी डॉ प्रदीप सिमलोत द्वारा शासन को कारित आर्थिक क्षति से संबधित राशि 23,500/- वापस शासन के खाते में जमा किया गया, जो आरोपी के अपराधिक कृत्य की स्वीकारोक्ति होकर स्पष्ट प्रमाण है। इस संबंध में वर्ष 2012-13 में ब्लॉक महेश्वर की अंकेक्षण रिपोर्ट में भी आरोपीगण द्वारा नियमानुसार लेजर, व्हाउचर, बैंक संबंधी विवरण, अग्रिम भुगतान के संबंध में कोई दस्तावेज सही तरीके से संधारित किया जाना नही पाया गया है। आरोपीगण डॉ. प्रदीप सिमलोत एवं कालू सिंह अवास्या तत्कालीन प्रभारी लेखापाल द्वारा लोक सेवक होते हुए अपराधिक षडयंत्र में संगमत होकर अपने पदीय दायित्वों का दुरूपयोग करते हुए आर्थिक लाभ लेने हेतु भ्रष्टाचार कारित किया गया, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13 (1)डी,13(2) एवं 120 बी भा.द.वि. के अर्न्तगत दण्डनीय प्रमाणित पाया गया है।

3/ संचालनालय स्तर पर गठित राज्य स्तरीय समिति के समक्ष प्रकरण अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया। राज्य स्तरीय समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि अभियोजन कमांक 428/2015 में क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, इंदौर की अध्यक्षता में निर्णय लिया जावे। क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें संभाग इंदौर ने पत्र कमांक शिका./संचा./2021/2298 दिनांक 08.03.2021 द्वारा गठित समिति ने प्रथम दृष्टया डॉ. प्रदीप सिमलोत ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ब्लाक महेश्वर एवं श्री कालू सिंह अवास्या तत्कालीन एम.पी.डब्लू प्रभारी लेखापाल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिपल्या बुजुर्ग महेश्वर जिला खरगोन द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों तथा शासकीय नियमों के विपरीत जाकर वित्तीय अनियमितताएं किया जाना परिलक्षित होता है का उल्लेख किया गया। संचालनालय स्तर पर राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 07.04.2021 में अभियोजन कमांक 428/2015 में अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः आरोपीगणों को अपराधिक प्रकरण के संबंध में अभियोजन स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु माननीय मंत्रीजी का प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त किया गया है।

निरंतर.....

4/ तद्नुसार राज्य शासन एतद् द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र कमांक एफ 15-1/2014/1-10 दिनांक 05.09.2014 एवं समसंख्यक परिपत्र दिनांक 21.04.2017 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए आरोपी डॉ. प्रदीप सिमलोत, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र महेश्वर जिला खरगोन एवं आरोपी श्री कालू सिंह अवास्या तत्कालीन एम.पी.डब्लू प्रभारी लेखापाल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिपल्या बुजुर्ग महेश्वर जिला खरगोन के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13 (1)डी, 13(2) एवं 120 बी भा.द.वि. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के लिये न्यायालय में अभियोजित करने हेतु भ्रष्टाचार निवारण अधिनिचम 1988 की धारा 19(1) बी.सी. के अंतर्गत अभियोजन संस्थित करने की स्वीकृति प्रदान करता है।

(सीमा डेहरिया)
(सीमा डेहरिया) अवर सचिव
अवर सचिव म.प्र. शासन
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
भोपाल, दिनांक 29/04/2022

पृ. कमांक/84/2341/2020/सत्रह/मेडि-1

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1 अतिरिक्त मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।
2 प्रमुख सचिव, म.प्र. विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3 आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल।
4 कलेक्टर जिला खरगोन म.प्र.।
5 अतिरिक्त महानिदेशक विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय म.प्र. भोपाल।
6 पुलिस अधीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय, इंदौर संभाग इंदौर।
7 उप/संयुक्त संचालक विज्ञप्त/शिकायत/अविज्ञप्त/लीगल संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें भोपाल ।
8 डॉ. प्रदीप सिमलोत, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र महेश्वर जिला-खरगोन द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-खरगोन म.प्र.।
9 श्री कालू सिंह अवास्या तत्कालीन एम.पी.डब्लू प्रभारी लेखापाल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिपल्या बुजुर्ग महेश्वर जिला खरगोन द्वारा-मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-खरगोन म.प्र.।
10 आदेश नस्ति।

(सीमा डेहरिया)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 29/04/2022

क्रमांक/837/ 2339/2020/सत्रह/मेडि-1/:- कार्यालय विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय म.प्र. भोपाल के पत्र 4686/अप.कं 429/15/विपुस्था/2020 भोपाल दिनांक 21.09.2020 द्वारा अपराध कमांक-429/2015 विरूद्ध डॉ. प्रदीप सिमलोत, ब्लक मेडिकल ऑफिसर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र महेश्वर जिला खरगोन को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13 (1)डी,13(2) एवं 120 बी भा.द.वि. के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिये भ्रष्टाचार नियारण अधिनियम 1988 की धारा 19 (1) बी.सी. के अंतर्गत म.प्र. शासन की अभियोजन स्वीकृति चाही गई है।

2/ संलग्न अभिलेखों के अनुसार प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है:- वर्ष 2012 - 13 आरोपी डॉ. प्रदीप सिमलोत ब्लॉक मेडीकल ऑफीसर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र महेश्वर जिला खरगोन एवं अध्यक्ष रोगी कल्याण समिति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिपलिया बुजुर्ग जिला खरगोन द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारी कालूसिंह अवास्या तत्का. प्रभारी लेखापाल के साथ संगमत होकर अपराधिक षडयंत्र करते हुए अपने पदीय दायित्वों का लोप/ पद का दुरूपयोग कर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिपल्याबुजर्ग विकासखण्ड महेश्वर जिला खरगोन को आर.सी. एस./एन.आर.एच.एम. कार्यक्रम के तहत् शासन से प्राप्त लाखों रुपये की राशि एवं रोगी कल्याण समिति की राशि से अवैध लाभ अर्जित करने हेतु नियम विरूद्ध तरीके बिना निविदा आमंत्रित किए, मनमर्जी से फर्म मेसर्स सद्गुरू ट्रेडर्स हार्डवेयर पिपल्याबुजुर्ग से प्रा0स्वा0केन्द्र पिपल्याबुजुर्ग अस्पताल के लिए निर्माण सामग्री क्रय की गई है। निर्माण सामग्री का मांग संबंधी कोई अभिलेख आरोपीगणों द्वारा संधारित न किया जाकर, मेंटनेंस रजिस्टर में उपरोक्त सामग्री क्रय करना दर्शाया गया तथा सामग्री के भौतिक सत्यापन हेतु किसी भी प्रकार की स्टॉक पंजी संधारित नहीं किया गया, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि वस्तुतः सामग्री किस दिनांक को प्राप्त हुई एवं उसका उपयोग कहां-कहां, किसके द्वारा किया गया। उक्त सामग्री के भौतिक सत्यापन पर उक्त सामग्री क्रय किया जाना नहीं पाया गया। जबकि उक्त सामग्री का नगद फर्जी भुगतान 19800/- रू दर्शाया गया है। जबकि यह कार्य भी नियमानुसार विज्ञप्ति का प्रकाशन करवाकर न्यूनतम दर वाले पंजीकृत व्यक्ति/ फर्म से करवाया जाना चाहिए था, ऐसा न करते हुए फर्जी बिल तैयार कर निर्माण सामग्री क्रय किये जाने हेतु 19800/-रू. का फर्जी नगद भुगतान दर्शा कर शासन को प्रश्नाधीन राशि 19800/-रू की आर्थिक क्षति कारित की गई है।

आरोपी डॉ. प्रदीप सिमलोत के विरूद्ध विभागीय जांच प्रारंभ होने पर उनके द्वारा शासन को कारित आर्थिक क्षति से संबंधित राशि 19800/-रू वापस शासन के खाते में जमा किया गया , जो आरोपी के अपराधिक कृत्य की स्वीकारोक्ति होकर स्पष्ट प्रमाण है। इस संबंध में वर्ष 2012-13 में ब्लॉक महेश्वर की अंकेक्षण रिपोर्ट में भी आरोपीगण द्वारा नियमानुसार लेजर, व्हाउचर, बैंक संबंधी विवरण, अग्रिम भुगतान के संबंध में कोई दस्तावेज सही तरीके से संधारित किया जाना नहीं पाया गया है। आरोपी डॉ. प्रदीप सिमलोत एवं कालूसिंह अवास्या तत्कालीन प्रभारी लेखापाल द्वारा लोक सेवक होते हुए आपराधिक षडयंत्र में संगमत होकर अपने पदीय दायित्वों का लोप/पद का दुरूपयोग करते हुए आर्थिक लाभ लेने हेतु भ्रष्टाचार कारित किया गया, जो धारा 13(1),डी, 13 (2) पी.सी. एक्ट 1988 एवं 120 बी भा.द.वि. के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध प्रमाणित पाया गया है।

निरंतर.......

3/ संचालनालय स्तर पर गठित राज्य स्तरीय समिति के समक्ष प्रकरण अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया। राज्य स्तरीय समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि अभियोजन कमांक 429/2015 में क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, इंदौर की अध्यक्षता में निर्णय लिया जावे। क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें संभाग इंदौर ने पत्र कमांक शिका./संचा./2021/2298 दिनांक 08.03.2021 द्वारा गठित समिति ने प्रथम दृष्टया डॉ. प्रदीप सिमलोत ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ब्लाक महेश्वर एवं श्री कालू सिंह अवास्या तत्कालीन एम. पी.डब्लू प्रभारी लेखापाल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिपल्या बुजुर्ग महेश्वर जिला खरगोन द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों तथा शासकीय नियमों के विपरीत जाकर वित्तीय अनियमितताएं किया जाना परिलक्षित होता है का उल्लेख किया गया। संचालनालय स्तर पर राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 07.04.2021 में अभियोजन कमांक 429/2015 में अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः आरोपी को अपराधिक प्रकरण के संबंध में अभियोजन स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु माननीय मंत्रीजी का प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त किया गया है।

4/ तदानुसार राज्य शासन एतद् द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र कमांक एफ 15-1/2014/1-10 दिनांक 05.09.2014 एवं समसंख्यक परिपत्र दिनांक 21.04.2017 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए आरोपी डॉ. प्रदीप सिमलोत, ब्लाक मेडिकल ऑफिसर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र महेश्वर जिला खरगोन एवं आरोपी श्री कालू सिंह अवास्या तत्कालीन एम.पी.डब्लू प्रभारी लेखापाल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिपल्या बुजुर्ग महेश्वर जिला खरगोन के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13 (1)डी, 13(2) एवं 120 बी भा.द.वि. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के लिये न्यायालय में अभियोजित करने हेतु भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19(1) बी.सी. के अंतर्गत अभियोजन संस्थित करने की स्वीकृति प्रदान करता है।

(सीमा डेहरिया)
अवर सचिव
(सीमा डेहरिया) म.प्र. शासन
अवर सचिव
लोक स्वास्थ्य एवं
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ. कमांक/838/2339/2020/सत्रह/मेडि-1 भोपाल, दिनांक 29/04/2022

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1 अतिरिक्त मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।
2 प्रमुख सचिव, म.प्र. विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3 आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल।
4 कलेक्टर जिला खरगोन म.प्र.।
5 अतिरिक्त महानिदेशक विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय म.प्र. भोपाल।
6 पुलिस अधीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय, इंदौर संभाग इंदौर।
7 उप/संयुक्त संचालक विज्ञप्त/शिकायत/अविज्ञप्त/लीगल संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें भोपाल ।
8 डॉ. प्रदीप सिमलोत, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र महेश्वर जिला-खरगोन द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-खरगोन म.प्र.।
9 श्री कालू सिंह अवास्या तत्कालीन एम.पी.डब्लू प्रभारी लेखापाल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिपल्या बुजुर्ग महेश्वर जिला खरगोन द्वारा-मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-खरगोन म.प्र.।
10 आदेश नस्ति।

(सीमा डेहरिया)
अवर सचिव
अवर सचिव म.प्र. शासन
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग